बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 161220 पटना, दिनांक 29/08/2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(वि0पै0)-102-06/13

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।
(बांका, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पटना, शेखपुरा, सिवान एवं कैमूर को छोड़कर)

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत विभिन्न पैकेजों में आवंटित आवासों की जॉच हेतु NLM के भ्रमण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों को विशेष पैकेज अंतर्गत यथा-नक्सल, पी0एम0पैकेज, कालाजार, कोशी बाढ़, आदि स्वीकृत की गई थी । आप अवगत हैं कि वर्ष 2013-14 में द्वितीय किस्त के केन्द्रांश की विमुक्ति से पूर्व इस राशि का Settlement किया जाना आवश्यक है । Settlement से पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जिन 27 जिलों में विशेष पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की जॉच हेतु NLM की प्रतिनियुक्ति किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है उनमें NLM के द्वारा 31.08.2013 के बाद भ्रमण कर योजना की जॉच की जायेगी । जॉच की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(1) NLM के द्वारा पंचायतों की संख्या का 10% पंचायत में जॉच की जायेगी ।
(2) प्रत्येक पंचायत के चार लाभुकों के आवास की जॉच की जायेगी ।

अतएव निदेश दिया जाता है कि -

(1) NLM को जॉच कार्य में यथोचित सहयोग प्रदान किया जाय ।
(2) पंचायतवार लाभुकों की सूची जिला स्तर पर तैयार रखी जाय तथा NLM को उनके जिला भ्रमण के दौरान उपलब्ध करा दिया जाय ।
(3) NLM के साथ समन्वय हेतु जिला स्तर पर किसी एक पदाधिकारी को चिन्हित कर नामित किया जाय तथा इसकी सूचना विभाग को दी जाय ।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

27/8

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 161220 पटना, दिनांक 29/08/2013

प्रतिलिपि- श्री सी0आ0के0नायर, सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (crknair@nic.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/8/13

सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 874.doc